फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सोपारी देवी वगैरह बनाम रामस्वरूप व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए.प्रकरण संख्याः–172/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 17.12.2019 को सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण के पिता भागूराम के नाम कस्बा सूरतगढ़ के खाता संख्या नया 185 पुराना 139 खसरा नं. 555/289 में 10.120 है0 खातेदारी बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भागूराम की मृत्यु दिनांक 01.02.2015 को हो गई। वादाधीन भूमि की खातेदारी भागूराम का दिनांक 21.11.2016 को दी गई। भागूराम को हस्तान्तरणीय अधिकार 21.11.2016 को प्राप्त हुए। इससे पूर्व उन्हे किसी प्रकार का भूमि हस्तान्तरण या वसीयत के अधिकार नही थे। दिनांक 21.11.2016 से पूर्व की उनकी वसीयत अप्रभावी है। प्रार्थीगण भागूराम की सम्पति में वादाधीन भूमि में प्रत्येक 1/10 के अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादाधीन भूमि के सम्बन्ध में वसीयत का नामान्तरकरण की धमकी दे रहे है। यदि वसीयत का नामान्तरकरण दर्ज हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णणीय क्षति होगी एवं वाद की डिक्री की पालना में व्यवधान होगा। अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह कस्बा सूरतगढ़ के खाता संख्या 185/139में अंकित 10.1200 है0 बारानी भूमि में अंकित खातेदार के रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। कानूनी नजीर आरबीजे 2006 पेज 366 प्रस्तुत की । वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की सगी बहने है जो उम्रदराज है व अरसा दराज से पूर्व विवाहित होकर अपने ससुराल में आबाद है अप्रार्थीगण के स्व0 पिता भागूराम द्वारा प्रार्थीगण के विवाह में उस समय के अनुसार प्रर्याप्त दान दहेज दिया गया व अपनी भूमि की वसीयत हम अप्रार्थीगण के हक में दिनांक 08.11.2012 को की गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा जैर विवादित रकबा को काबिल काश्त बनाया गया है व खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। जैरविवादित रकबा अप्रार्थीगण स्व0 श्री भागूम का स्वअर्जित सम्पति है जिसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकारी भागूराम का था। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 08.11.2012 को वादाधीन रकबा की वसीयत अप्रार्थीगण के हक में थी जो कि आज भी अस्तित्व में है। वादाधीन रकबा पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण द्वारा हमारे पिता भागूराम द्वारा की गई वसीयत को सक्षम न्यायालय में शून्य घोषित करवाने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई हे। भागूराम के खातेदारी अधिकार भी उनकी वसीयत ग्रहित के हक में पढ़े जावेगें। जिससे अप्रार्थीगण भी वादाधीन रकबा के खातेदार कृषक माने जावेगें। इस प्रकार हम समकक्ष खातेदार कृषक है एवं खातेदार कृषक के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादाधीन भूमि में प्रार्थीगण का कब्जा नही होने व जमाबंदी में नाम नही होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हम में बनता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में है। अतः दिनांक 31.10.2017 को जारी एकतरफा अन्तरिम निषेधाज्ञा निरस्त फरमावें। कानूनी नजरी आरबीजे 2018 पेज 499 प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत कानून नजीर का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता भागूराम द्वारा दिनांक 08.11.2012 को की गई वसीयत जो अप्रार्थीगण के पक्ष में की गई है को उन्होने किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। भागूराम के नाम भूमि जमाबन्दी में आ.का. पश्चात् दर्ज थी एवं इसके बाद भागूराम के नाम दिनांक 21.11.2016 को खातेदार दर्ज हुई। भागूराम द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत की गई है, जो कि राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामनें नही आया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का निर्णय दावा में तनकी बनाकर एवं साक्ष्य के बाद ही तय होने है। अतः दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत नही होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2017 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 17:49:19 IST
Reason: SelfAttested